



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1528) पटना, वृहस्पतिवार, 18 सितम्बर 2025

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2025

अधि0सं0 ग्रा0वि0-06-NRLM/01-25/2025-4616169—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि, ग्रामीण विकास विभाग (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) राज्य के प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (जिसे आगे योजना कहा जायेगा) का संचालन कर रहा है, जिसे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्सान समिति (जिसे आगे कार्यान्वयन एजेंसी कहा जायेगा) के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

और जबकि, इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10000/- (दस हजार) रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जायेगी तथा महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने का आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी। आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से उनके बैंक खाता में दी जाती है।

और जबकि, उक्त योजना के लिए व्यय बिहार सरकार की संचित निधि से किया जाता है।

और जबकि, ग्रामीण विकास विभाग उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ, यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुजरे, या आधार संख्या

रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे, या ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे:

अब, इसलिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या का प्रमाणीकरण या प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- (2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
- (3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी नामांकन होना है, अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा।

बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, या यदि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव से संबंधित प्राधिकार के डाटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थात्:-

- (क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें ईआईडी शामिल होती है; तथा
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्:-
 - (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
 - (ii) राशन कार्ड;
 - (iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो अंचल अधिकारी के पद से नीचे का न हो;
 - (iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र,
 - (v) भारतीय पासपोर्ट;
 - (vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकों का विवरण, जिसमें जन्म तिथि दर्शायी गयी हो;
 - (vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
 - (viii) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
 - (ix) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग निर्दिष्ट कर सकता है:

- (4) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में पदाभिहित कोई अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा -
 - (क) माई आधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर ई.आई.डी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि ई.आई.डी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; तथा
 - (ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, तथा इस प्रयोजन के लिए, किसी सरकारी इकाई या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।
2. लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से उक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभाग मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लाभार्थियों को उक्त योजना के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।
3. जहां किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया गया हो और वह किसी भी कारण से विफल हो जाए, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश किया जाएगा:
 - (ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के तहत लाभ, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:
 - (i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एम.आधार ऐप का उपयोग करके एक्सेस करने योग्य) शामिल है, आधार क्यूआर. स्कैनर या एम.आधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद।
 - (ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एम.आधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से

दस्तावेज पर यू0आई0डी0ए0आई0 के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के बाद।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक- 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- डी-26011/04/2017-डी0बी0टी0 (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन किया जायेगा।
5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव ।

Rural Development Department

Notification

The 18th September 2025

S.O. 4616084—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas, the **Rural Development Department (hereinafter referred to as the Department)** is administering the **Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana (hereinafter referred to as the Scheme)** to provide employment opportunities to the one eligible women member of every family of the state which is being implemented by Department through **Bihar Rural Livelihood Promotion Society (hereinafter referred to as the implementing agency)**.

And whereas under this scheme, financial assistance of **Rs 10,000 (Rupees Ten Thousand only)** will be provided as a first installment to one desirous women of each eligible family (hereinafter referred to as the said beneficiaries) to start employment venture of her own choice followed by an additional assistance of up to **Rs 2 lacs (Rupees Two lacs)** which may be provided as needed (hereinafter referred to as the said benefit) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of Bihar :

And whereas the Rural Development Department is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Bihar hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, she shall be required to make an application for enrolment:
- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Rural Development Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, she may establish her identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which she is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the Rural Development Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Circle Officer;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education, showing date of birth;
 - (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) Driving licence issued in India:

- (ix) Any other document as the Rural Development Department may specify:
- (4) An officer designated by the Rural Development Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—
 - (a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Department shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
 - (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
 - (b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme

implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Rural Development Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).
5. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

**By the order of Governor of Bihar,
Lokesh Kumar Singh,
Secretary.**

—
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1528-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>